कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)
Office of The Executive Engineer, Construction Division, P.W.D. Ukhimath.

E-mail.- eepwd.ukh@gmail.com

पत्रांक 3021 /13सी.   दिनांक 9 / 11 / 2022

सेवा में,

उपवन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रुद्रप्रयाग।

विषयः– *जनपद– रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूबगड–जगोठ मोटर मार्ग से सौडी गॉव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.615 हैं वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में। (Online No. FP/UK/ROAD/31257/2018)*

सन्दर्भः– *भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्रांक 8बी./यू.सी.पी./06/04/2020/एफ.सी./2501 दिनांक 07–02–2020।*

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत् प्रेषित हैः–

बिन्दु संख्या	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1230 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासशोंधित) जमा की जायेगी।	उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित होने वाली वनभूमि के बदले खण्ड द्वारा सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक 1230 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रु 1800720.00 का भुगतान वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। **(शुलभ सन्दर्भ हेतु छायाप्रति सलंग्न है।)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	एन.पी.वी. की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है। (शुलभ सन्दर्भ हेतु छायाप्रति सलंग्न है।)
3	शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वत्ता प्रस्तुत की जाए।	एन.पी.वी. की धनराशि का भुगतान बढी हुई दरों पर वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। जिसकी वचनबद्वत्ता का प्रमाण–पत्र सलंग्न है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित आर्नलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्वान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	NPV की धनराशि का भुगतान वेब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम से ही किया गया है। Online Generate चालान की छायाप्रति सलंग्न है।
5	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 81 से अधिक न हो।	शर्त मान्य है।
6	State government will upload the map indicating location of alternative examined at para D (ii) (a), Part I online.	जियोरेफरेन्स मैप एवं टोपोशीट मानचित्रों की छायाप्रति सलंग्न कर प्रेषित है।
7	राज्य शासन द्वारा 1230 पौधो के वृक्षारोपण हेतु पुनरीक्षित योजना प्रस्तुत की जायेगी तथा चयनित क्षेत्र का विवरण एवं KML file इस कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।	उक्त प्रस्ताव 1.00 हे. से कम है जिस कारण शर्त इस प्रस्ताव पर लागू नही है।

सलंग्न :- 1- N.P.V. चालान की छायाप्रति -4प्रति में,
2- वचनबद्वता का प्रमाण-पत्र 4 प्रतियों में,
3- मानचित्रों की छायाप्रति 4-4 प्रतियों में, O/C

09/11/2022

(इं. मनोज कुमार भट्ट)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)।

पत्रांक 3021 / 13सी॰

दिनांक 9/11/2022

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

09/11/2022

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.,
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)
Office of The Executive Engineer, Construction Division, P.W.D. Ukhimath.

E-mail.- eepwd.ukh@gmail.com

पत्रांक 264 /13सी.

दिनांक 31/01/2022

सेवा में,

उपवन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रुद्रप्रयाग।

विषयः— *जनपद— रुद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेडूबगड–जगोठ मोटर मार्ग से सौडी गॉव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.65 है॰ वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में। (Online No. FP/UK/ROAD/ 31257/2018)*

सन्दर्भः— *अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन भूमि हस्तान्तरण, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून पत्र सं॰ 308/X-3-20/1(01)/2020 देहरादून दिनांक 29–04–2020।*

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नवत् प्रेषित हैः—

बिन्दु संख्या	शर्त का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 1230 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासशोंधित) जमा की जायेगी।	उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित होने वाली वनभूमि के बदले खण्ड द्वारा सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक 1230 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि ₹ 1800720.00 का भुगतान वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। **(शुलभ सन्दर्भ हेतु छायाप्रति सलंग्न है।)**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडें स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासशोंधित) जमा की जायेगी।	मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पडें स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि का भुगतान ₹ 519675.00 वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। **(शुलभ सन्दर्भ हेतु छायाप्रति सलंग्न है।)**
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चत्तम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.स. 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या –5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	एन.पी.वी. की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है। **(शुलभ सन्दर्भ हेतु छायाप्रति सलंग्न है।)**
4	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्वता प्रस्तुत करेगें की सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दर में बढोतरी होती है तो बढी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	एन.पी.वी. की धनराशि का भुगतान बढी हुई दरों पर वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है।**(शुलभ सन्दर्भ हेतु छायाप्रति सलंग्न है।)**

5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या –5–3/2007 एफ.सी. दिनांक 05–09–2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन.पी.वी. तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधा रोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या–एस.बी.–25230, कार्पेरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, फेज–1 लोधी रोड नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन.पी.वी. क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराया जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	1. वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु देय धनराशि (0.615 है. X 2 =1.23X 1000=1230) 1230 X 1464.00 = 1800720.00 2. सैद्वान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या–2 के अनुपालन में ऑन लाईन भरे गये प्रपत्र भाग–2 के अनुसार प्रशनगत क्षेत्र इको क्लास–V के अन्तर्गत घनत्व 0.40 है. तदनुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ.–सी. दिनांक 05–02–2009 में उल्लिखित दरों के अनुसार रूपये 0.615 है. @ 845000.00/है. = 519675.00 मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
7	प्रयोक्ता ऐजेसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण–पत्रों का उपलब्ध कराया जाना होगा।	शर्त मान्य है।
8	प्रयोक्ता ऐजेसी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नही होने अथवा असन्तोषजनक अनुपालन की स्थिति में राज्य सरकार, वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	शर्त मान्य है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करने की जमा की गई सभी निधियाँ (CA Cost, NPV etc) को वेब पोर्टल पर Online Generate किए गये चालान के माध्यम द्वारा उचित आनॅलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गई धनराशि सैद्वान्तिक स्वीकृति अनुपालन के रूप में मान्य नही होगी।	खण्ड द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण, वृक्षों का रख–रखाव व एन.पी.वी. का भुगतान प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग से आकलन प्राप्त होने के उपरान्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही किया गया है, खण्ड द्वारा पूर्ण भुगतान ₹ 2320395.00 वन विभाग के पक्ष में जमा किया जा चुका है। **(शुलम सन्दर्भ हेतु आनलॉइन प्राप्त पावती रसीद सलंग्न है।)**
10	सड़क निर्माण के पश्चात जहॉ जहॉ सम्भव हो सडक के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग के देख–रेख में Strip Plantation की जायेगी। इस आशय की बचन बद्वता प्रेषित करनी होगी।	सड़क निर्माण के पश्चात जहॉं–जहॉं सम्भव हो रिक्त पडें स्थानों पर वृक्षारोपण से सम्बन्धित बचनबद्वत्ता का प्रमाण–पत्र पूर्व में ही प्रस्ताव के पृष्ठ सं. 73 पर सलंग्न है **छायाप्रति सलंग्न कर प्रेषित है।**
11	कम से कम वृक्षों का कटान एवं पातन किया जायेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 81 से ज्यादा न हो।	शर्त मान्य है।
12	उपरोक्ता के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्वान्तिक स्वीकृति के आदेश दिनांक 07–02–2020 में उल्लेखित समस्त शर्तो का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
13	उपरोक्ता शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	खण्ड द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।

भवदीय,
31/01/2022
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि. ऊखीमठ
(रुद्रप्रयाग)।

पत्रांक 264/13सी.

दिनांक 31/01/2022

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., ऊखीमठ
(रुद्रप्रयाग)।

प्रपत्र-51

परियोजना का नामः– मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–553/2015 के अन्तर्गत जनपद–रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र-केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेड़ूबगड़-जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि क लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

एन०पी०वी० की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशी जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की दे: धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसर अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढ़ोतरी व जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी लोक निर्माण विभाग द्वारा जमा करा जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

P.C Attested

सहायक अभियन्ता
निमार्ण खण्ड लो0 नि0 वि0
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

योजना का नामः— मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–553/2015 के अन्तर्गत जनपद–रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र–केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेड़ूबगड़–जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि वहन किये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि विभाग को उनकी माँग के अनुसार उपलब्ध करा दी जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

P.C Attested

सहायक अभियन्ता
निमार्ण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

NEFT RTGS CHALLAN

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 13-11-2021

Agency Name.	EECDPWDUKM
Application No.	6131257627
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/04/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	EXECUTIVE ENGINEER, CONST. DIVISION, PWD UKHIMATH, RUDRAPRAYAG Rudraprayag
Amount(in Rs)	2320395/-

Amount in Words Twenty-Three Lakh Twenty Thousand Three Hundred and Ninety-Five Rupees Only

SBINR52021126537129926

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896131257627 Valid only for this challan amount
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

भारतीय स्टेट बैंक/State Bank of India ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग-02498 P.F.No.-5433045 26 NOV 2021 MAKER CHECKER

भारतीय स्टेट बैंक/State Bank of India ऊखीमठ,रुद्रप्रयाग-02498 P.F.No.-1003... 26 NOV 2021 BHAWNA MAKER CHECKER

Executive Enginee.
Const.Div. P.W.D
Ukhimath (Rudrapryag)

y send a line of confirmation through

जाव. आदि।

डिजिटल मैप – जनपद रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र केदारनथ में विकासखण्ड अगस्त्यमुनि के अन्तर्गत बेड़ूबगड़ मोटर मार्ग से सौड़ी गांव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु

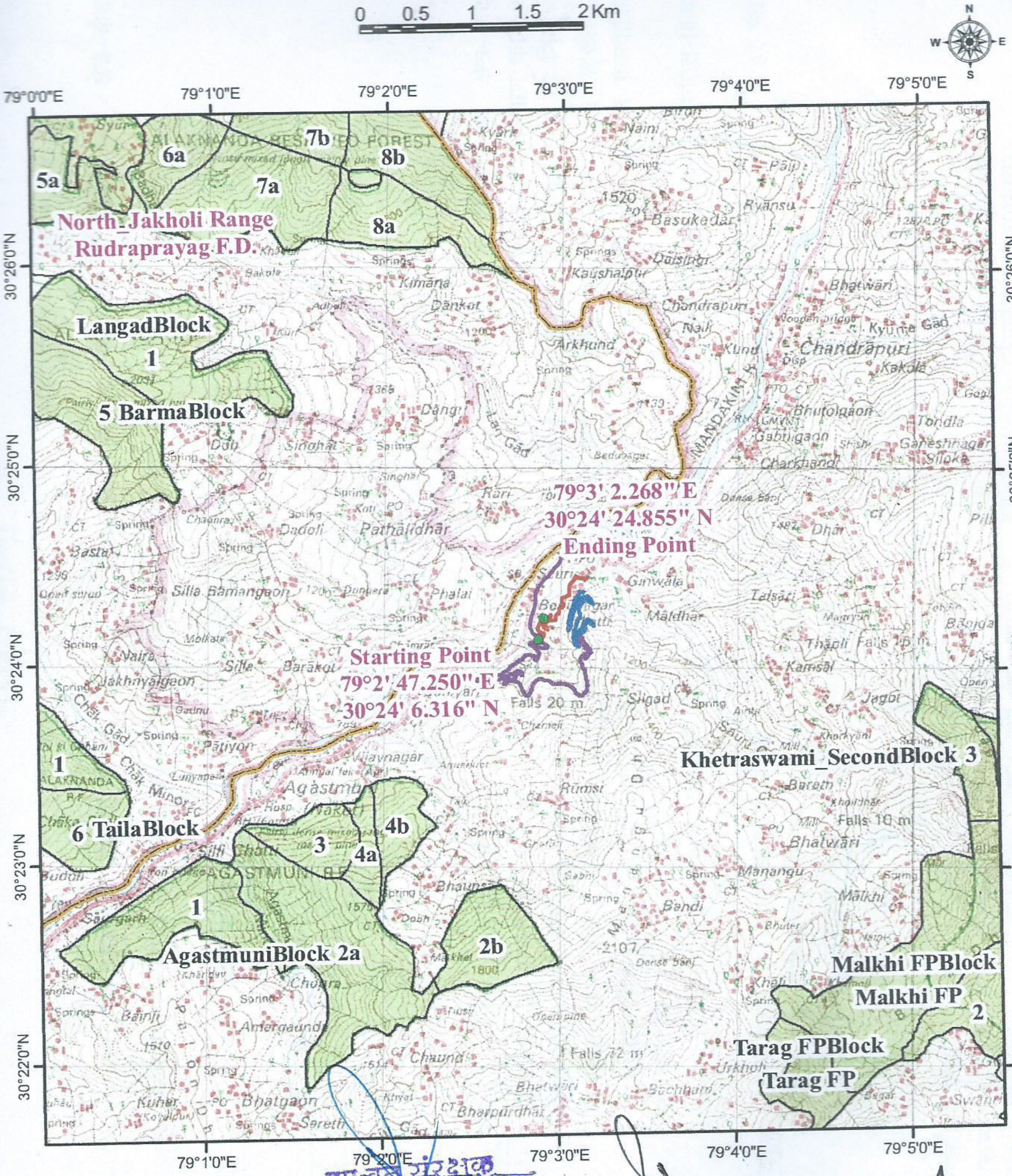

Legend

Muck Dispsosal	Reserve Forest
Proposed Road	Reserve Forest Boundary
Alternate Road	Forest Division Boundary
Existing Motor Road	Forest Range Boundary

J.E

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग)

प्रपत्र-8

परियोजना का नाम:– मा॰ मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–553/2015 के अन्तर्गत जनपद–रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र–केदारनाथ के विकासखण्ड, अगस्त्यमुनि में बेड़ूबगड़–जगोठ मोटर मार्ग से सौड़ी गाँव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि का लो॰नि॰वि॰ को हस्तान्तरण।

प्रस्तावित परियोजना का स्थल मानचित्र 1:50,000

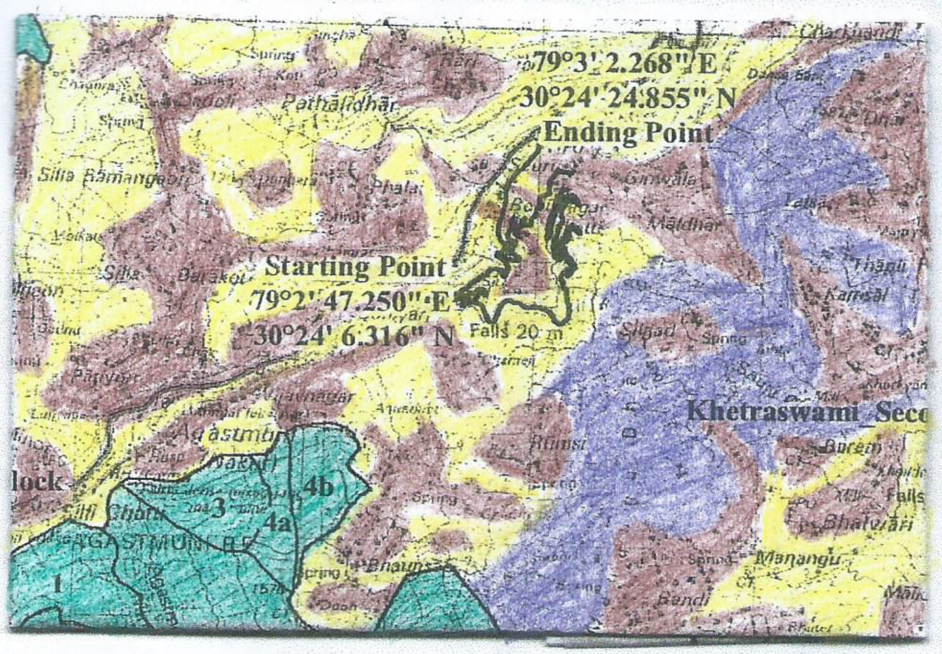

1	प्रस्तावित मोटर मार्ग	
2	वैकल्पिक संरेखण	
3	मुख्य मोटर मार्ग	
4	आरक्षित वन भूमि	
5	पंचायती वन भूमि	
6	राज्य भूमि	
7	नाप भूमि	
8	आबादी क्षेत्र	
9	नदी एंव नाला	

अमीन
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

राजस्व उप निरीक्षक

कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

तहसीलदार
रुद्रप्रयाग

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

उपजिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

वन क्षेत्राधिकारी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ (रुद्रप्रयाग)

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग